



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



CIN : L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 5 August, 2022

PGCIL/R/T/22/00049; 00050 & 00053; 00054

SHRI YOGENDRA RATHOD,
PANDAV NIVAS NR FOREST OFFICE , CHANDAN VAS DEHGAM , TALUKO:- DEHGAM DIST-
GANDHINAGAR -382305 Gujarat

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,


कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 6 July, 2022; 11 July, 2022 तथा 13 July, 2022 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. आवेदन पत्रों का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्रों में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

(ए. जगन्नाथ राव)
वरिष्ठ महाप्रबंधक (कें.आयोजना) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

विषय: आर.टी.आई. 2005 के अंतर्गत श्री योगेंद्र राठौड़, गांधीनगर, गुजरात द्वारा मांगी गई सूचना का जवाब
(आवेदन पत्र पंजीकृत संख्या: PGCIL/R/T/22/00049; 00050; 00053 & 00054)

क्रमांक	मांगी गई सूचना:	जवाब:
1.	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का 'महारत्न उद्यम) की तरफ से प्राप्त संबंधित नवीनतम रिपोर्ट की प्रमाणित नकल देने का कष्ट करें।	Applicant द्वारा मांगी गई सूचना स्पष्ट नहीं है।
2.	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से अंतिम 5 सालों में प्राप्त पत्रों/सपथ पत्रों और अन्य साहित्य की प्रमाणित नकल देने का कष्ट करें।	Applicant द्वारा मांगी गई सूचना स्पष्ट नहीं है।
3.	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों से अंतिम 5 सालों में प्राप्त शिकायतों की प्रमाणित नकल देने का कष्ट करें।	क्रमांक 3 एवं 4 का जवाब: कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही, कर्मचारियों की व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंधित नहीं है, या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण हो सकता है।
4.	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों से अंतिम 5 सालों में प्राप्त शिकायतों के ऊपर की गई कार्यवाही के सभी दस्तावेजों की प्रमाणित नकल देने का कष्ट करें।	अतः RTI Act, 2005 के Section 8 (1)(j) के अंतर्गत आपके द्वारा मांगी गई सूचना को प्रकट किये जाने की छूट है।
5.	आयोग के द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतिम 5 सालों में भेजे गए पत्रों/सूचनाएं/साहित्य/परिपत्र/आदेशों इत्यादि की प्रमाणित नकल देने का कष्ट करें।	Applicant द्वारा मांगी गई सूचना स्पष्ट नहीं है।

हरिशुभा